भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1921

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

जल स्त्रोतों का कायाकल्प, जीर्णोद्धार एवं संरक्षण

1921. डॉ. कडियम काव्य:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी केंद्रीय योजना के अंतर्गत वारंगल जिले में झीलों, तालाबों, पारंपरिक जल निकायों और भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के कायाकल्प, जीर्णोद्धार और संरक्षण का कार्य किया है या इसके लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष-वार और योजना-वार स्वीकृत परियोजनाओं, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) वारंगल जिले में उक्त परियोजनाओं से लाभान्वित क्षेत्र, सृजित या पुनर्स्थापित जल भंडारण क्षमता, प्राप्त भूजल पुनर्भरण तथा अन्य परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, झीलों, टैंकों, पारंपरिक जल निकायों और भूजल पुनर्भरण संरचनाओं के संरक्षण, पुनर्स्थापन और बचाव सहित जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, उनकी आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में सहायता करती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत वारंगल जिले में किए गए कार्यों का ब्यौरा निम्नवत है:

1. पीएमकेएसवाई (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0) का वाटरशेड विकास घटक

भारत सरकार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक का कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रिज क्षेत्र उपचार, जल

निकासी लाइन उपचार, मृदा और नमी संरक्षण, वर्षा जल संचयन, स्प्रिंग-शेड विकास और अन्य वाटरशेड प्रबंधन कार्यकलाप शामिल हैं।

वारंगल जिले के रायपर्थी ब्लॉक में, डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत 10.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक वाटरशेड विकास परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के लिए, विगत तीन वर्षों के दौरान 3.17 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है।

उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन से, 2.64 लाख घन मीटर भंडारण सृजित किया गया है, 235.20 हेक्टेयर क्षेत्र का अतिरिक्त क्षेत्र विविध फसलों की श्रेणी के अंतर्गत लाया गया है और लगभग 54.40 हेक्टेयर क्षेत्र को बिना किसी फसल/एकल फसल से क्रमश: एकल/एकाधिक फसलों की पैदावार की श्रेणी में लाया गया है।

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

भारत सरकार देश भर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का कार्यान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण और जल संचयन विषय को कार्यों की अनुमेय श्रेणियों में शामिल किया गया है।

वारंगल जिले में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान 85.65 करोड़ रुपए के व्यय से 5,369 जल संबंधी कार्य पूरे किए गए हैं। इनमें से 715 कार्य पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण से संबंधित हैं, जिन्हें 47.90 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है।

3. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0

भारत सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2021 में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया। जल निकायों का संरक्षण, मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है।

तेलंगाना सरकार ने, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के अंतर्गत वारंगल जिले में 8.05 करोड़ रुपए की कुल लागत से 598 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए तीन जल निकाय संरक्षण परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें नरसमपेट, परकला और वर्धनापेट शामिल हैं। अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 के अंतर्गत तेलंगाना राज्य को जुलाई 2026 तक कुल 516 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता स्वीकृत/जारी की गई है, जिसमें से तेलंगाना सरकार द्वारा 384.82 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया है। इसमें वारंगल जिले की उपरोक्त तीन परियोजनाओं पर किया गया व्यय भी शामिल है।

4. राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के अंतर्गत जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। वारंगल जिले में, 12 स्थानों पर जल गुणवत्ता की निगरानी की जाती है, जिसमें 6 झीलें, 2 तालाब और 4 टैंक शामिल हैं।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत जल गुणवत्ता की सैंपलिंग और विश्लेषण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है। कार्यक्रम के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों के दौरान, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) को जल गुणवत्ता निगरानी कार्यकलापों को पूरा करने के लिए 1.11 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

5. जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) एवं जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी)

जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 में, जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया। तत्पश्चात, माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2021 में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान की शुरूआत "कैच द रेन: व्हेयर इट फॉल्स, व्हेन इट फॉल्स" संदेश के साथ की। उसके बाद से, यह अभियान विभिन्न हितधारकों के बीच स्थानीय कार्रवाई और अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से जल संरक्षण और जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।

जेएसए-सीटीआर 2025 को "जल संचय - जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर" थीम के साथ शुरू किया गया था। इसमें जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण (कन्वर्जेंस) और नवाचारी वित्तपोषण तंत्र पर बल दिया गया है।

जेएसए सीटीआर अभियान के अंतर्गत, विगत तीन वर्षों के दौरान वारंगल जिले में किए गए कार्य निम्नवत हैं -

- 788 पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण कार्य;
- 1,643 पुन: उपयोग और पुनर्भरण संरचनाएं;
- 213 वाटरशेड विकास कार्य; तथा
- 4,626 सघन वनीकरण कार्य।

भारत सरकार ने, जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 6 सितंबर 2024 को जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल की भी शुरूआत की। तत्पश्चात, जून 2025 में जेएसजेबी 2.0 को शुरू किया गया और जिसका समापन 31 मई 2026 को हुआ। वारंगल जिले में, जेएसजेबी 1.0 के अंतर्गत 72,649 कार्य और जेएसजेबी 2.0 के अंतर्गत 51,375 कार्य पूरे हो चुके हैं।

इसके साथ-साथ, 1 जून 2026 को, जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन (जेएसजेबी:सीटीआर) – 2026 को शुरू किया गया था, जिसमें जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के दायरे का विस्तार किया गया और इसे जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) अभियान के साथ एकीकृत किया गया। इस पहल का उद्देश्य सेचुरेशन मोड में कम लागत वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक भागीदारी और एकजुटता को मजबूत करना है।
